कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकोनर

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक(नोडल अधिकारी)
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम / द्वितीय
3. प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
4. राजकीय / निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

विषयः—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रावधानों के अनुसार डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु स्कूल स्थानब़द्ध प्रशिक्षण(इंटर्नशिप) कार्यक्रम के सम्बन्ध में

सन्दर्भः—संयुक्त शासन सचिव पत्र क्रमांक प7(1) / प्राशि / आयो / 2016 / जयपुर दिनांक 20.09.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रावधानों के अनुसार डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण(इंटर्नशिप) कार्यक्रम आयोजित किया जाना अनिवार्य है। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान 20 सप्ताह (4 सप्ताह प्रथम वर्ष एवं 16 सप्ताह द्वितीय वर्ष) विद्यालयों में प्रशिक्षुता के लिए निर्धारित है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को विद्यार्थी—अध्यापको को अध्यापन से सम्बन्धित कार्यो के अभ्यास के लिये विद्यालयों की उपलब्धता होना आवश्यक होता है। एनसीटीई रेगूलेशन 2014 के परिशिष्ठ 2 की बिन्दु संख्या 4.2(II) के प्रावधान अनुसार राज्य शिक्षा विभाग का जिला / ब्लॉक कार्यालय विभिन्न टीचर ट्रेनिंग इन्सटिट्यूटस को डी.एल.एड. कोर्स हेतु स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण(इंटर्नशिप) कार्यक्रम आयोजित करने के लिये विद्यालय आंवटित किये जाने है।

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2016 के सन्दर्भित पत्रों के द्वारा डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण(इंटर्नशिप) कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों मे आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु विद्यालय हेतु आवंटित करने के लिए जिलेवार निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः—

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक(नोडल अधिकारी) — समन्वयक
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, प्रथम / द्वितीय —सदस्य
3. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाइट) —सदस्य

एनसीटीई 2014 परिशिष्ट 2 के बिन्दु 4.1c अनुसार इंटर्नशिप कार्यक्रम के द्वारा दो वर्षो के दौरान शुरू से अन्त तक पडौस के स्कूलों के साथ सहक्रियाशीलता का सृजन करना है। विद्यार्थियों को स्कूलों में विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तैयार किया जायेगा। कार्यक्रम मे अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति के नवाचारी केन्द्रों नवाचारी स्कूलों शैक्षिक संसाधन केन्द्रों अध्यापन शिक्षा प्राप्ति केन्द्रों का दौरा करना शामिल होगा। स्कूल स्थानाबद्ध प्रशिक्षण में अध्यापक के कर्त्तव्यों और समुदाय की संलग्गता के बारे में शिक्षा के अधिकार(आर.टी.ई.) के अनुबंध शामिल होगें स्कूल स्थानाबद्ध कार्यक्रम मे निम्नलिखित धटक होगे।

पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 20 सप्ताह स्कूलों में प्रशिक्षुता के होगें, जिनमें से पहले वर्ष के दौरान 4 सप्ताह कक्षाओं के कमरों में प्रेक्षण के लिये निर्धारित होगें, स्कूल स्थानाबद्ध प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान कम से कम 16 सप्ताह की अवधि प्रारम्भिक कक्षाओं के लिये होगी जिनमें प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक कक्षाऐं भी शामिल है।

राजकीय/निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु विद्यालय आवटिंत करने के लिये आवेदन उनके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक(नोडल अधिकारी) को प्रस्तुत करेंगें। प्राप्त आवदेनों पर निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हएु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को इटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगाः–

1. विद्यालय आंवटन करते समय ध्यान रखा जावे कि प्रशिक्षुता और कार्यक्रम के अन्य स्कूल–आधारित क्रियाकलापों की अनुमति देने के लिए स्कूलों की रजामन्दी की जानकारी देते हुए कम से कम दस स्कूलों के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जाए। ये स्कूल कार्यक्रम की अवधि के दौरान सभी प्रायोगिक कार्य और संबंधित कार्य के लिए बुनियादी सम्पर्क स्थल बनेंगें।
2. डी.एल.एड. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राजकीय प्राथमिक(कक्षा 1 से 5)/उच्च प्राथमिक(कक्षा 1 से 8)/माध्यमिक(कक्षा 1 से 10)/उच्च माध्यमिक(कक्षा 1 से 12) विद्यालय आंवटित किए जावें।
3. छात्राध्यापक स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण(इंटर्नशिप) कार्यक्रम हेतु विद्यालय का आवंटन करते समय शिक्षार्थियो के हित में दूरी/गृहजिला/ विद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जावे

   इंटर्नशिप कार्यक्रम का पूर्णता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक(नोडल अधिकारी) द्वारा जारी किया जायेगा।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं,
राजस्थान, बीकानेर